भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1545
बुधवार, 4 मार्च, 2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक)

नौकरी सृजन की गणना के लिए
मापदंड

1545. डा॰ प्रकाश बांडाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय दस से कम लोगों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को नौकरी सृजन के आंकड़ों के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटे व्यापार और वे दुकानें भी, जो एक ही मालिक या एक ही कर्मचारी द्वारा चलाई जा रही हैं, रोजगार सृजन के आंकड़ों का हिस्सा होंगी; और

(ग) विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा रोजगार सृजन की गणना के क्या मापदंड रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): दस से कम लोगों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को रोजगार सृजन के आंकड़ो के दायरे में लाने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रमम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र एवं अखिल भारत स्तर पर शहरी क्षेत्रों हेतु श्रम बाजार के विभिन्न सकेंतकों के तिमाही परिवर्तन तथा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए विभिन्न श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमान प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार-बेरोजारी संबंधी नियमित वार्षिक सर्वेक्षण नामतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित करता है। घरेलू सर्वेक्षण होने के कारण, इसमें सभी प्रकार के रोजगार अर्थात स्व-रोजगार, नियमित मजदूरी/वेतनभोगी और सभी क्षेत्रों के नैमेतिक श्रमिक शामिल हैं। पूर्व में, ये संकेतक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों तथा श्रम ब्यूरो के वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे।

इसके अतिरिक्त, एनएसओ आर्थिक जनगणना भी करता है, जो स्वयं के उपभोग के एकल उद्देश्य के लिए न होकर वस्तुओं तथा/अथवा सेवाओं के उत्पादन तथा/अथवा वितरण में लगे कृषि अथवा गैर-कृषीय क्षेत्र के किसी भी आर्थिक कार्यकलाप में शामिल समस्त उद्यमीय इकाइयों को साथ में लेती है।

******